



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 284]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 30, 2011/ज्येष्ठ 9, 1933

No. 284]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 30, 2011/JYAISTHA 9, 1933

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 2011

सा.का.नि. 419(अ).—केन्द्र सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 642 की उप-धारा (1) के खंड (क) एवं (ख) के साथ पठित धारा 192क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कम्पनी (डाक मत द्वारा संकल्प पारित करना) नियम, 2001 के स्थान पर निम्नलिखित नियम बनाती है, नामतः :—

1. संक्षिप्त नाम एवं लागू होने की तारीख:—

- (1) इन नियमों को कम्पनी (डाक मत द्वारा संकल्प पारित करना) नियम, 2011 कहा जाएगा।
- (2) ये नियम शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :—

इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो —

- (क) “अधिनियम” का अर्थ कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) है;
- (ख) “एजेंसी” का अर्थ इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म द्वारा मतदान हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म उपलब्ध कराने एवं उसका निरीक्षण करने के लिए नियुक्त एजेंसी है जो कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित एजेंसी होगी ;
- (ग) “डाक मत” में कम्पनी की आम बैठक में कार्य निष्पादन हेतु उपस्थित होकर व्यक्तिगत रूप से मतदान करने के स्थान पर डाक या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा शेरधारकों से मतदान शामिल है;
- (घ) विशेष संकल्प के संबंध में “अपेक्षित बहुमत” का अर्थ है कार्य के पक्ष में कुल मत कार्य के विरुद्ध कुल मतों से तीन गुणा अधिक हैं, एवं साधारण संकल्प के संबंध में इसका अर्थ है पक्ष में पड़े मत विपक्ष में पड़े मत से अधिक हैं;

(ड.) “इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा मतदान” का अर्थ है कम्प्यूटर आधारित मशीन का प्रयोग करते हुए सदस्यों द्वारा मत दर्ज करने की प्रक्रिया ताकि इलेक्ट्रॉनिक मतपत्र दिखाया जा सके एवं मत को रिकार्ड किया जा सके तथा किसी कार्य के पक्ष या विपक्ष में मतों की संख्या को इस प्रकार दर्शाना कि मतदान की पूरी प्रक्रिया पंजीकृत हो जाए एवं इसकी गिनती केन्द्रीय सर्वर में इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री में की जा सके;

(च) यहां प्रयुक्त शब्द एवं अभिव्यक्तियों का, जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, जब तक संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, वही अर्थ, अगर कोई हो, होगा जो इस अधिनियम एवं सूचना प्रयोगिकी अधिनियम, 2000 में निर्धारित किया गया है।

3. सूचना :-

(क) कम्पनी निम्नलिखित में से किसी एक तरीके से सूचनाएं जारी कर सकती है :-

- (i) पंजीकृत डाक देय पावती के तहत; या
- (ii) डाक विभाग द्वारा उपलब्ध डाक के किसी अन्य सुरक्षित माध्यम से; या
- (iii) इलेक्ट्रॉनिक मेल द्वारा इस शर्त पर कि कम्पनी ने अपने सदस्य को ई-मेल पता पंजीकृत करने एवं संबंधित डिपोजिटरी में समय-समय पर उसमें परिवर्तन करने का अग्रिम अवसर प्रदान किया हो तथा ई-मेल द्वारा सूचना भेजने हेतु अपने सदस्य का ई-मेल पता प्राप्त कर लिया हो।

(ख) सूचना में यह स्पष्ट बताया जाए कि कम्पनी डाक मतपत्र द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध करा रही है या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा। अगर कम्पनी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा मतदान का विकल्प प्रदान कर रही है तो नोटिस में एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा मतदान के लिए प्रक्रिया एवं तरीके को स्पष्ट रूप से इंगित किया जाए।

(ग) कम्पनी किसी एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र एवं उस राज्य में, जहां कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, प्रकाशित होने वाले क्षेत्रीय भाषा के किसी एक समाचार पत्र में एक विज्ञापन देगी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातों का विधिवत् उल्लेख करते हुए मत पत्र भेजे जाने की सूचना दी जाएगी :

- (i) सूचना प्रेषण के पूर्ण होने की तिथि;
- (ii) डाक मत पत्र या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा मतदान प्रारंभ होने की तिथि;
- (iii) डाक मत पत्र या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा मतदान समाप्त होने की तिथि;
- (iv) सूचना में यह भी बताया जाएगा कि उक्त तिथि के पश्चात् सदस्यों से प्राप्त डाक मत पत्र को अवैध माना जाएगा;

(v) जिन सदस्यों को डाक मत पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं वे कम्पनी में आवेदन कर डुप्लीकेट मत पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

4. आवेदन :-

ये नियम पंजीकृत कम्पनियों के लिए एवं ऐसे कार्यों, जिन्हें नियम 5 के तहत निर्दिष्ट किया गया है, से संबंधित संकल्पों के मामलों में लागू होंगे।

5. उन विषयों की सूची जिनमें संकल्प डाक मतदान द्वारा पारित किए जाएंगे :

(क) ज्ञापन के उद्देश्य खंड में परिवर्तन;

(ख) निजी कम्पनी को परिभाषित करने वाले प्रावधानों को शामिल करने के संबंध में संगम अनुच्छेद में परिवर्तन;

(ग) धारा 77क की उप-धारा (1) के तहत कम्पनी द्वारा अपने शेयरों की पुर्नखरीद;

(घ) धारा 86 के खंड (क) के उपखंड (ii) के तहत मतदान या लाभांश या अन्यथा के लिए अंतरीय मतदान अधिकारों सहित शेयर जारी करना;

(ङ.) जैसा कि धारा 146 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट है, किसी शहर, कस्बे या गांव की स्थानीय सीमाओं के बाहर पंजीकृत कार्यालय के स्थान में परिवर्तन;

(च) धारा 293 की उप-धारा (1) के उप-खंड (क) के अंतर्गत किसी कम्पनी के कारोबार का पूर्ण रूप से या लगभग पूर्ण रूप से विक्रय करना;

(छ) धारा 372क की उप-धारा (1) के तहत निर्धारित सीमा से अधिक ऋण देना या गारंटी सीमा में विस्तार करना या प्रतिभूति प्रदान करना;

(ज) अधिनियम की धारा 252 की उप-धारा (1) के परंतुक के तहत किसी निदेशक का चुनाव;

(झ) किसी वर्ग के शेयरों या लाभांशों या अन्य प्रतिभूतियों, जैसा कि धारा 106 में विनिर्दिष्ट है, से जुड़े अधिकारों में विभिन्नता।

6. डाक मतदान के माध्यम से कारोबार करने हेतु अपनाई गई प्रक्रिया :-

(क) कम्पनी द्वारा आम बैठक हेतु नोटिस के नीचे सदस्यों के समझने के लिए एक नोट बनाया जाएगा कि क्र.सं. में किए गए लेन-देन हेतु शेयरधारकों से डाक मतदान के माध्यम से सहमति अपेक्षित है;

(ख) निदेशक मंडल एक संवीक्षक की नियुक्ति करेगा, जो कम्पनी का कर्मचारी न हो, और वह कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो अथवा कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो सकता है, जो निदेशक मंडल की राय में डाक मतदान की प्रक्रिया को सही एवं पारदर्शी तरीके से करवाने में सक्षम हो;

(ग) डाक मतदान की प्राप्ति की अंतिम तारीख के पश्चात् संवीक्षक द्वारा जितनी जल्दी हो सके अपनी रिपोर्ट सौंप दी जाएगी।

(घ) संवीक्षक नियुक्ति हेतु सहमत होगा तथा अपेक्षित बहुमत सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वह कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में उपलब्ध होगा;

(ङ.) प्राप्त सहमति या अन्यथा के लिए संवीक्षक एक रजिस्टर का रख-रखाव करेगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी शामिल है, जिसमें नाम, पता, फोलियो संख्या, शेयरों की संख्या, शेयरों का न्यूनतम मूल्य, शेयरों में मतदान, अंतरीय मतदान या गैर-मतदान अधिकारों का उल्लेख किया जाएगा तथा संवीक्षक उन डाक मतपत्रों के रिकार्डों का भी रख-रखाव करेगा जो विरुद्ध तथा कटे-फटे प्राप्त होते हैं। डाक मतपत्रों तथा डाक मतपत्रों से संबंधित अन्य सभी कागजात संवीक्षक के पास सुरक्षित रूप में तब तक रहेंगे जब तक कि अध्यक्ष बैठक के कार्यवृत्त पर विचार करके उसे अनुमोदित करते हुए उस पर हस्ताक्षर न कर दे। तत्पश्चात्, संवीक्षक कम्पनी का मतपत्र एवं अन्य दस्तावेज/रजिस्टर वापस कर देगा ताकि संकल्प के प्रवृत्त होने तक ऐसे मत पत्र तथा अन्य संबंधित दस्तावेज/रजिस्टर का संरक्षण किया जाए।

(च) नोटिस प्रेषण पूरा होने की तारीख से तीस दिनों की समाप्ति पर प्राप्त सहमति या अन्यथा को सदस्य से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ माना जाएगा।

7. इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा कारोबार करने हेतु अपनाई गई प्रक्रिया :-

कम्पनी, एजेंसी द्वारा संस्तुत इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा मतदान की प्रक्रिया का अनुसरण करेगी।

[फा. सं. 2/4/2011-सीएल-V]

जे. एन. टिक्कू, संयुक्त निदेशक

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th May, 2011

G.S.R. 419(E).— In exercise of the powers conferred by section 192A read with clauses (a) and (b) of sub-section (1) of section 642 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules, in supercession of Companies (passing of the resolution by postal ballot) Rules, 2001 namely:-

1. Short title and commencement

- (1) These rules may be called the Companies (passing of the resolution by postal ballot) Rules, 2011.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the official gazette.

2. Definitions:-

In these rules unless the context otherwise requires -

- (a) "Act" means the Companies Act, 1956 (1 of 1956);
- (b) "Agency" means agency appointed for providing and supervising electronic platform for voting by electronic platform shall be an agency approved by the Ministry of Corporate Affairs.
- (c) "Postal Ballot" includes voting by share holders by postal or electronic mode instead of voting personally by presenting for transacting businesses in a general meeting of the company;
- (d) "Requisite majority" with regard to Special Resolution means votes cast in favour of the business is three times more than the votes cast against, with regard to ordinary resolution, votes cast in favour is more than the votes cast against.
- (e) "Voting by electronic mode" means a process for recording votes by the members using a computer based machine to display an electronic ballot and to record the vote and also the number of votes polled in favour or

1984 9711 - 2

against such that the entire voting gets registered and counted in a electronic registry in a centralised server;

(f) Words and expressions used herein but not defined shall, unless the contest otherwise requires, bear the meaning, if any, as assigned to them under the Act and Information Technology Act, 2000.

3. Notice:-

(a) The company may issue notices either,-

(i) under Registered Post Acknowledgement Due; or

(ii) through any other secured mode of posting provided by Department of Post; or

(iii) through electronic mail provided the company has obtained e-mail address of its member for sending the notices through e-mail, after giving an advance opportunity to the member to register his e-mail address and changes therein from time to time with the concerned depository; and

(b) The notice shall clearly mention that whether the company is providing voting through postal ballot or by electronic mode. If the company is opting for providing voting by electronic mode, then the notice shall clearly indicate the process and manner for voting by electronic mode provided by the agency.

(c) The company shall cause an advertisement to be published in a leading English Newspaper and in one vernacular Newspaper circulating in the State in which the registered office of the company is situated, about having dispatched the ballot papers duly specifying therein, inter alia, the following matters:—

(i) The date of completion of despatch of notices;

(ii) The date of commencement of voting through postal ballot or by electronic mode;

(iii) The date of end of voting through postal ballot or by electronic mode;

(iv) The notice shall further state that any postal ballot received from member beyond the said date will not be valid.

(v) That members, who have not received postal ballot forms may apply to the Company and obtain a duplicate thereof.

4. Applications:-

These Rules shall be applicable to listed companies and in case of resolutions relating to such businesses as are specified under rule 5.

5. List of businesses in which the resolutions shall be passed through Postal Ballot.

- (a) Alteration in the Object Clause of Memorandum;
- (b) Alteration of Articles of Associations in relation to insertion of provisions defining private company;
- (c) Buy-back of own shares by the company under sub-section (1) of section 77A;
- (d) Issue of shares with differential voting rights as to voting or dividend or other wise under sub-clause (ii) of clause (a) of section 86;
- (e) Change in place of Registered Office out side local limits of any city, town or village as specified in sub-section (2) of section 146;
- (f) Sale of whole or substantially the whole of undertaking of a company as specified under sub-clause (a) of sub-section (1) of section 293;
- (g) Giving loans or extending guarantee or providing security in excess of the limit prescribed under sub-section (1) of section 372A;
- (h) Election of a director under proviso to sub-section (1) of section 252 of the Act;
- (i) Variation in the rights attached to a class of shares or debentures or other securities as specified under section 106.

6. Procedure to be followed for conducting business through Postal Ballot:-

- (a) The company may make a note below the notice of General Meeting for understanding of members that the transaction(s) at Sl. No. requires consent of shareholders through postal ballot;
- (b) The board of directors shall appoint one scrutinizer, who is not in employment of the company, may be a retired judge or any person of repute who, in the opinion of the board can conduct the postal ballot voting process in a fair and transparent manner;
- (c) The scrutinizer shall submit his report as soon as possible after the last date of receipt of Postal Ballots;

- (d) The scrutinizer will be willing to be appointed and he is available at the Registered Office of the company for the purpose of ascertaining the requisite majority;
- (e) The scrutinizer shall maintain a register to record the consent or otherwise received, including electronic media, mentioning the particulars of name, address, folio number, number of shares, nominal value of shares, whether the shares have voting, differential voting or non-voting rights and the Scrutinizer shall also maintain record for postal ballot which are received in defaced or mutilated form. The Postal Ballot and all other papers relating to postal ballot will be under the safe custody of the Scrutinizer till the Chairman considers, approves and sign the minutes of the meeting. Thereafter, the Scrutinizer shall return the ballot papers and other related papers/register to the company so as to preserve such ballot papers and other related papers/register safely till the resolution is given effect to;
- (f) The consent or otherwise received after thirty days from the completion of dispatch of notice shall be treated as if reply from the member has not been received;

7. Procedure to be followed for conducting business by electronic mode:-

The company shall follow the procedure for voting by electronic mode as recommended by agency.

[F. No. 2/4/2011-CL.V]

J. N. TIKKU, Jt. Director